उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

संख्या-23/2018/343/60-3-18-65(सा)/16टी0सी0

लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाईडलाइन्स स्वाधार गृह-2015 के अनुसार तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-एस0डब्लू0-36/41/2016-स्वाधार, दिनांक 20.09.2016 एवं पत्र संख्या-एस0डब्लू0-36/41/2016-स्वाधार, दिनांक 01.12.2017 में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित शार्ट स्टे होम एवं स्वाधार योजना को एकीकृत कर संचालित स्वाधार गृह योजना हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करते हुये राज्य सरकार की संस्तुति भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल निम्नानुसार राज्य स्तरीय शक्ति सम्पन्न समिति का गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1-	प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	-	अध्यक्ष
2-	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
3-	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
4-	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
5-	निदेशक, महिला कल्याण उ0प्र0, लखनऊ	-	सदस्य/सचिव
6-	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम	-	सदस्य
7-	स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, महिला समाख्या कार्यक्रम, उ0प्र0	-	सदस्य
8-	प्रशासक/सचिव, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उ0प्र0	-	सदस्य

2- उपरोक्तानुसार समिति के गठन के फलस्वरूप पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या-321भा0स0/60-3-03-3(319)/2000, दिनांक 05.11.2003 के द्वारा गठित राज्य स्तरीय शक्ति सम्पन्न समिति को अवक्रमित किया जाता है।

3- उक्त समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक आयोजित किये जाने एवं प्रोजेक्ट्स के मॉनिटरिंग का प्राविधान है तथा किसी भी संस्था को सहायता जारी रखने का आधार उक्त राज्य स्तरीय समिति के द्वारा उसके संतोषजनक प्रदर्शन (Performance) के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

जय प्रकाश सगर,

सचिव।

संख्या-343 (1)/60-3-18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

4- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।

7- स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, महिला समाख्या कार्यक्रम, उ0प्र0, लखनऊ।

8- प्रशासक/सचिव, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।